मार्गदर्शक अदकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (आमेर)

मोक़ा _____ बनाम _____

मुकदमा संख्या / वर्ष 7/22 : _____ / 20

| क्र०सं० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 10/6/24 | पत्रावली [illegible] के अन्य [illegible] कन्फ्लिक्ट [illegible] व्यक्ति [illegible] कारण [illegible] की [illegible] की [illegible] 24/6/24 | |
| | 24/6/24 | पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त इस्तगासा वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से डग हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (आमेर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:21:30 IST
Reason: SelfAttested